न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती हुकम कँवर, R.A.S.

प्रकरण संख्या 06/21

GCMS Id : 2021/15

1. रामनिवास पुत्र धन्नालाल जाति माली
2. बाबूलाल पुत्र स्व0 धन्नालाल जाति माली
3. रामप्यारी बाई बेवा स्व धन्नालाल जाति माली
   निवासीगण– सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा कैथून, के सामने वार्ड नम्बर 12 बनाशा पाडा कस्बा कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राजस्थान)
4. मुन्नी बाई पुत्री स्व0 धन्नालाल पत्नी सोहनलाल जाति माली निवासी कोटडी सब्जीमंडी के पास कोटडी, तहसील लाडपुरा कोटा।
5. लाडबाई पुत्री स्व0 धन्नालाल पत्नी रोडूलाल जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 1 टोटी मोहल्ला कस्बा कैथून, तहसील लाडपुरा, कोटा।

–(वादीगण)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा।

–(प्रतिवादी)

दावा वास्ते घोषणा खातेदारी, प्राप्ति कब्जा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थिति : श्री रवीन्द्र कुमार नागर, वादीगण अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 25.09.2025

1. वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 बाबत घोषणा खातेदारी, राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय हाजा मे पेश किया गया।
2. वादी की ओर से पेश वाद मे निवेदन किया गया जो कि संक्षेप मे निम्न प्रकार है –
   - ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा मे वादी क्रम 1 व 2 तथा 4 व 5 के पिता एवं वादिनी क्रम 3 के पति धन्नालाल पुत्र शंकरलाल माली निवासी कैथून के एक मात्र खाते व कब्जे की पुरानी जमाबंदी संख्या 187 संवत् 2035–2038 के अनुसार पुराने खसरा नम्बर की कृषि भूमि स्थित है। हाल सेटलमेन्ट द्वारा पुराने खसरा नम्बरान के स्थान पर नये खसरा नम्बर व रकबा कायम किया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।
   - खसरा नम्बर 734 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा जिसके नये नम्बर 1014 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 1020 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 1021 रकबा 0.03 हैक्टर।
   - खसरा नम्बर 731 रकबा 6 बिस्वा के नये नम्बर 1019 रकबा 0.08 हैक्टर, तथा खसरा नम्बर 732 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा के नये नम्बर 1016 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 1018 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 1017 रकबा 0.09 हैक्टर।
   - खसरा नम्बर 733 गैर मुमकिन घाट रकबा 2 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 1015 रकबा 0.01 हैक्टर। कुल किता 4 कुल रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, कुल रकबा 0.43 हैक्टर
   - धन्नालाल जी माली को वाद पत्र की चरण नम्बर 1 मे वर्णित आराजी के अलावा ग्राम कैथून मे स्थित पुराना खसरा नम्बर 735 की 5 बिस्वा भूमि अन्तर्गत पत्रावली 237/01 दिनांक 30.01.1976 को जिलाधीश उपनिवेशन कोटा द्वारा कीमतन 63 रुपये 17 पैसे मे आवंटन की थी। इस पुराने खसरा नम्बर का हाल सेटलमेन्ट द्वारा नया खसरा नम्बर 1022 रकबा 0.06 हैक्अर कायम किया है और धन्नालाल जी द्वारा आवंटन की समस्त शर्तो की नियमानुसार पालना करने पर आवंटन भूमि जरिये इन्तकाल नम्बर 131 धन्नालाल जी के खाते अंकित की थी। उक्त समस्त तथ्यों का विवरण धन्नालाल जी के आवंटन पट्टा पार्ट 3 नम्बर 40 और तत्पश्चात् कैथून की जमाबंदी नम्बर 532 संवत् 2045–48 में अंकित है। उक्त आवंटन भूमि वाद पत्र की चरण नम्बर 1 मे वर्णित धन्नालाल जी के खाते की भूमि मे सम्मिलित करते हुये धन्नालाल जी के खाते मे कुल रकबा 0.49 हैक्टर अंकित किया गया जो पुराने रकबे से 0.20 हैक्टर कम है।
   - धन्नालाल की मृत्यु दिनांक 03.06.2006 को होने तक वाद पत्र की चरण नम्बर 1 मे वर्णित कुल

आराजी और आवंटित खसरा नम्बर 735 की भूमि पर निरन्तर खातेदार के रूप मे काबिज काश्त चले आ रहे थे औंर उक्त कुल भूमि मे फसल बोकर फसल लेते आ रहे थे। धन्नालाल की मृत्यु के पश्चात् वादीगण वाद पत्र की चरण नम्बर 1 मे वर्णित आराजी और आवंटित भूमि खसरा नम्बर 735 की भूमि पर बहैसियत रेकार्डेड खातेदार निरंतर आज तक मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण के पिता धन्नालाल ने उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि का एक चक बनाकर भूमि के चारो तरफ करीब 25 वर्ष पूर्व ही चार फीट ऊंची पत्थरों की कच्ची बाउन्डरीवाल बनाई थी जो आज भी मौके पर स्थित है।

≈ सेटलमेन्ट द्वारा वादीगण के खाते व कब्जे के पुराना खसरा नम्बर 734 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा मे से 14 बिस्वा भूमि बिना किसी सक्षम न्यायायलय के आदेश के अवैध अनाधिकृत तरीके से कम कर दी है और पुराने खसरा नम्बर 734 के स्थान पर नये तीन खसरा नम्बर 1014, 1020, व 1021 कायम करके केवल कम रका ब0.17 हैक्टर वादीगण की जमाबंदी रेवेन्यू रिकॉर्ड मे अंकित कर दिया है। जब कि कानूनन 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि का कुल नया रकबा 0.29 हैक्टर वादीगण के खाते मे अंकित किया जाना आवश्यक था। इस प्रकार सेटलमेन्ट कर्मचारियो व अधिकारियो द्वारा गैर कानूनी तरीके से वादीगण की बिना जानकारी के कुल 14 बिस्वा यानि नया रकबा 0.11 हैक्टर वादीगण के खाते कम करके जमाबंदी में अंकित किया गया है और 0.11 हैक्टर कमी रकबा वापस अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा रेवेन्यू रिकॉर्ड मे दुरूस्ती करवाकर खातेदार घोषित होने के अधिकारी है।

≈ वादीगण के खाते के पुराना खसरा नम्बर 732 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा के स्थान पर सेटलमेन्ट द्वारा नये खसरा नम्बर 1016, 1018, 1017 कायम करके कुल रकबा 0.17 हैक्टर बनाया है और सेटलमेन्ट कर्मचारियो व अधिकारियों द्वरा अवैध व अनाधिकृत तरीके से पुराना खसरा नम्बर 732 की 1 बीघा 12 बिस्वा मे से 11 बिस्वा यानि नया रकबा 0.09 हैक्टर गेर कानूनी तरीके से कम करके वादीगण की खातेदारी मे कम रकबा अंकित किया है और 0.09 हैक्टर रकबा सरकारी दर्ज कर दिया है। प्रतिवादी द्वारा वादीगण के कम की गई 0.11 हैक्टर व 0.09 हैक्टर भूमि को सिवायचक मानकर बेदखल की कार्यवाही के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। चूंकि वादीगण प्रारंभ से आजतक कुल 4 बीघा भूमि पर मौके पर काबिज काश्त है।

≈ अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि खसरा नम्बर 734 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा मे से 14 बिस्वा भूमि गैर कानूनी तरीके से कम की गई है और नये तीन खसरा नम्बर 1014, 1020, 1021 कायम करके कम रकबा 0.17 हैक्टर बनाकर वादीगण की जमाबंदी मे अंकित किया है इस कारण कुल रकबा 0.29 हैक्टर वादीगण की जमाबंदी मे अंकित किये जाने की आज्ञा यानि नया रकबा 0.11 हैक्टर वादीगण के खाते अंकित किये जाने के आदेश कर राजस्व रिकॉर्ड मे दुरूस्ती की जावे।

≈ खसरा नम्बर 732 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा मे से गैर कानूनी तरीके से कम की गई 11 बिस्वा भूमि जिसके नये नम्बर 1016, 1018, 1017 बनाकर नया रकबा 0.17 हैक्टर बनाया है इस कारण कुल रकबा 0.26 हैक्टर वादीगण के खाते व जमाबंदी मे अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

≈ वादीगण के पक्ष मे चरण नम्बर 1 व 2 मे अंकित कमी रकबा 0.11 व 0.09 हैक्टर के संबंध मे की जाने वाली बेदखली की कार्यवाही के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जावे।

वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में वाद पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेजात पेश किये गये –

प्रदर्श 1	प्रमाणित प्रतिलिपि ग्राम कैथून तहसील लाड़पुरा संवत् 2035–38
प्रदर्श 2	प्रमाणित प्रतिलिपि ग्राम कैथून तहसील लाड़पुरा संवत् 2073–76
प्रदर्श 3	प्रमाणित प्रतिलिपि ग्राम कैथून तहसील लाड़पुरा संवत् 2045–48
प्रदर्श 4	मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबंध विभाग की प्रमाणित प्रतिलिपि।
प्रदर्श 5A	मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति प्रदर्श 5ए है।
प्रदर्श 6	धारा 80 सीपीसी नोटिस की प्रति
प्रदर्श 7	डाक रशीद की फोटोप्रति
प्रदर्श 8	ट्रेक रिपोर्ट की फोटोप्रति

2. प्रतिवादी की ओर से विवादित आराजी की संबंध मे निम्न रिपोट प्राप्त हुई –

≈ मुताबिक जमाबंदी संवत् 2035–2038 खाता नम्बर पुराना 187 खातेदार धन्नालाल वल्द शंकरलाल जाति माली खसरा नम्बर 734 की 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 732 की 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 733 की 2 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 15 बिसवा दर्ज रिकॉर्ड है।

≈ भू–प्रबंधन विभाग मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नम्बर 1014/0.08 नया पुराना 734 मिन (1 बीघा 15 बिस्वा), खसरा नम्बर 1015/0.01 नया पुराना 733 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 1016/0.03 नया, पुराना 732 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 1018/0.05 नया पुराना 732 मिन, खसरा नम्बर 1019/0.08 नया पुराना 731 रकबा 1बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 1022/0.06 नया पुराना 735 मिन 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 1017/0.09 नया पुराना 732 मिन

≈ सनद संख्या 40 मे खसरा नम्बर 735 रकबा 5 बिस्वा धन्नालाल पुत्र शंकरलाल जाति माली

जिसने नये खसरा नम्बर 1022 रकबा 0.06 हैक्टर है। मौके पर मृतक के वारिसान काबिज काश्त है।

- ≈ खसरा नम्बर 734 पुराना रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा जमाबंदी संवत् 2035–2038 खाता 187 मे दर्ज है। धन्नालाल वल्द शंकर के जिसने नये खसरा नम्बर 1014/0.9, 1020/0.05, 1021/0.03 बनहे है वर्तमान मे 0.17 हैक्टर है।
- ≈ पुराना खसरा नम्बर 732 1 बीघा 12 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड था, जिसने नये खसरा नम्बर 1016/0.03, 1018/0.05, 1017/0.09 कुल रकबा 0.17 बना है।

7. प्रस्तुत प्रकरणों पर सुनी गई अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन करने तथा उपरोक्तानुसार किये गये विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि –

- ☞ वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 188 के तहत घोषणा खातेदारी, राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् दावा पेश कर सेटलमेन्ट पूर्व वादीगण के खसरा नम्बर एवं सेटलमेन्ट पश्चात् खसरा नम्बर की रकबा बराबरी करने पर मैट्रिक प्रणाली अनुसार 0.11 व 0.09 रकबे की कमी की पूर्ति बाबत् अनुतोष चाहा गया है।
- ☞ परन्तु वादीगण द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया कि वादी के कम हुये रकबे को सेटलमेन्ट द्वारा कौनसे खसरा नम्बरान मे मिला दिया गया अर्थात् वादीगण के कम हुये रकबे की पूर्ति कौनसे खसरा नम्बरान से की जानी है।
- ☞ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 104 के प्रावधानानुसार– सबूत का भार उस पक्ष पर है जो किसी तथ्य के अस्तित्व का दावा करता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई पक्ष दावा करता है कि कोई निश्चित तथ्य सत्य है, तो उस दावे का समर्थन करने वाले सबूत पेश करना उसकी जिम्मेदारी है।
- ☞ वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 188 के तहत बाबत् घोषणा खातेदारी, राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया । परंतु दस्तावेज एवं साक्ष्य के अभाव मे वादी के कम हुये रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही अतः वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

6. यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 25-09–2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्रीमती हुकम कँवर)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती हुकम कँवर, R.A.S.

बउनवान :–

1 रामनिवास पुत्र धन्नालाल जाति माली
2. बाबूलाल पुत्र स्व0 धन्नालाल जाति माली
3. रामनाथी बाई बेवा स्व धन्नालाल जाति माली
निवासीगण– सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा कैथून, के सामने वार्ड नम्बर 12 बनाशा पाड़ा कस्बा कैथून, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा (राजस्थान)
4. मुन्नी बाई पुत्री स्व0 धन्नालाल पत्नी सोहनलाल जाति माली निवासी कोटड़ी सब्जीमंडी के पास कोटड़ी, तहसील लाड़पुरा कोटा।
5. लाड़बाई पुत्री स्व0 धन्नालाल पत्नी रोडूलाल जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 1 टोटी मोहल्ला कस्बा कैथून, तहसील लाड़पुरा, कोटा।

–(वादीगण)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाड़पुरा जिला कोटा।

–(प्रतिवादी)

दावा बाबत : 183, 88,188 RTA
मुकदमा नम्बर : 06 /21
निर्णय दिनांक : 25-09-2025

GCMS id : 2021/15

न्यायालय हाजा में वादी अभिभाषक श्री रविन्द्र कुमार नागर की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 25–09–2025 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती हुकम कँवर आर.ए.एस. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर प्रकरण में वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 188 के तहत बाबत् घोषणा खातेदारी, राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया । परंतु दस्तावेज एवं साक्ष्य के अभाव मे वादी के कम हुये रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही है।अत: वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 25 सितम्बर, 2025 को लिखवाई और टंकित करवाई जाकर मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(श्रीमती हुकम कँवर)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	